

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 09-10-2026

विषय सूची

संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों के बावजूद अस्पृश्यता की निरंतर विद्यमानता

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम लागू

जीएसटी 2.0 का उन्नत संस्करण

संदर्भ

भारत का सीमेंट क्षेत्र शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की राह में एक बड़ी चुनौती

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान

संक्षिप्त समाचार

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद

राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH)

ब्रह्मोस

SAREX-2026

नोबेल साहित्य पुरस्कार 2026

नोबेल शांति पुरस्कार 2026

एंजियोप्लास्टी

संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों के बावजूद अस्पृश्यता की निरंतर विद्यमानता

संदर्भ

- अगस्त 2026 में उत्तराखंड में आयोजित शुद्धिकरण समारोह ने संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण के बावजूद अस्पृश्यता की प्रथा के बने रहने को लेकर एक बार फिर परिचर्चा को तीव्र कर दिया है।

अस्पृश्यता क्या है?

- अस्पृश्यता जाति-आधारित बहिष्कार का एक ऐतिहासिक रूप से स्थापित स्वरूप है, जो शुद्धता और अशुद्धता की पारंपरिक अवधारणाओं पर आधारित है।
- इसके अंतर्गत व्यक्तियों को उनकी जातिगत पहचान के कारण सामाजिक स्थलों, संसाधनों और अवसरों तक समान पहुँच से वंचित किया जाता है।

अस्पृश्यता के विरुद्ध संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

- संवैधानिक प्रावधान:**
 - अनुच्छेद 15:** इसके अनुसार, किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित मामलों में कोई नियोग्यता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाई जाएगी—
 - दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश के संबंध में।
 - राज्य निधि से पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित अथवा आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों के उपयोग के संबंध में।
 - अनुच्छेद 17:** इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध किया गया है।
- कानूनी ढाँचा:**
 - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:** यह अधिनियम अस्पृश्यता के आचरण तथा उससे संबंधित नियोग्यताओं को लागू करने की प्रथा को दंडनीय बनाता है।
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:** इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार संबंधी अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों के विचारण की व्यवस्था करना तथा पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना है।

अस्पृश्यता के बने रहने के प्रमुख कारण

- सामाजिक कारक:** शुद्धता एवं अशुद्धता की अवधारणा: कुछ जातियों को पारंपरिक रूप से अशुद्ध मानने वाली धारणाएँ आज भी सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं।
 - सामाजिक पुनरुत्पादन की व्यवस्था के रूप में जाति:** पारिवारिक संरचनाएँ, नातेदारी के संबंध और सामाजिक रीति-रिवाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी जातिगत पदानुक्रम को बनाए रखते हैं।
 - अंतर्विवाह (Endogamy):** अपनी ही जाति के अंदर विवाह करने की बाध्यताएँ जातिगत पहचान और सामाजिक विभाजनों को सुदृढ़ करती हैं।
 - सांस्कृतिक कारक:** भेदभाव का सामान्यीकरण: अलग-अलग वर्तनों का उपयोग, बैठने की पृथक् व्यवस्था तथा मंदिरों में प्रवेश पर प्रतिबंध जैसी प्रथाओं को कभी-कभी परंपरा और प्रथागत मान्यताओं के नाम पर उचित ठहराया जाता है।
 - आर्थिक कारक:** जाति एवं वर्ग का अंतर्संबंध: भूमिहीनता, असुरक्षित रोजगार और प्रभुत्वशाली जातियों पर आर्थिक निर्भरता पीड़ितों को भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने से हतोत्साहित करती है।
 - व्यावसायिक पृथक्करण:** हाथ से मैला उठाने की प्रथा तथा जोखिमपूर्ण स्वच्छता संबंधी कार्यों में जाति-आधारित संलग्नता यह दर्शाती है कि कानूनी निषेधों और पुनर्वास उपायों के बावजूद जाति-आधारित व्यावसायिक बहिष्करण बना रह सकता है।
- ### प्रमुख न्यायिक हस्तक्षेप
- देवराजैया बनाम बी. पद्मना (1957):** मैसूर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रयुक्त 'अस्पृश्यता' शब्द की व्याख्या उसके शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में नहीं की जा सकती।
 - इसके बजाय, यह शब्द विशेष रूप से जन्म के आधार पर व्यक्तियों पर अधिरोपित की गई ऐतिहासिक जाति-आधारित सामाजिक नियोग्यताओं की व्यवस्था को संदर्भित करता है।
 - कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले (1992):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र और मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए जाति व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन आवश्यक है। न्यायालय ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी एवं कठोर क्रियान्वयन पर बल दिया।
 - सूर्य नारायण चौधरी बनाम राजस्थान राज्य (1988):** राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंदिर में प्रवेश के लिए जाति-विशिष्ट अनुष्ठानिक शर्तें लागू करने को अस्पृश्यता का प्रत्यक्ष स्वरूप माना।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समाज के किसी एक वर्ग पर ऐसी शर्तें नहीं अधिरोपित की जा सकतीं, जो अन्य वर्गों पर लागू नहीं होती हैं।
- **सुकन्या शांता बनाम भारत संघ (2024):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 17 का दायरा केवल भौतिक बहिष्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पर्श या उपस्थिति के आधार पर किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

कानूनी निषेध से आगे आवश्यक उपाय

- **शिक्षा में सुधार:** पाठ्यक्रमों में समानता, गरिमा और जाति-विरोधी सामाजिक सुधार आंदोलनों से संबंधित विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही, शिक्षकों को भेदभावपूर्ण व्यवहार के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- **सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा:** साझा सार्वजनिक सुविधाओं, समावेशी आवासीय क्षेत्रों और विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक मेल-जोल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि दैनिक जीवन में विद्यमान जातिगत विभाजनों को कमजोर किया जा सके।
- **सुलभ नागरिक उपचार की व्यवस्था:** आपराधिक अभियोजन के अतिरिक्त, भेदभाव के मामलों में प्रभावी शिकायत निवारण तथा पीड़ितों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए सुलभ और प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने चाहिए।
- **कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन:** शिकायतों का शीघ्र पंजीकरण, निष्पक्ष जाँच, समयबद्ध सुनवाई तथा पीड़ितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

Source: TH

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम लागू

संदर्भ

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026, 8 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गया है।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- **उद्देश्य:** अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति तथा सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करना।
- **नियम बनाने की शक्ति:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को निर्दिष्ट केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) के अधिकारियों से संबंधित मामलों में नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- **भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति:** यह पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में नेतृत्व के पदों पर IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को बनाए रखेगा। ये बल हैं—

- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- सशस्त्र सीमा बल (SSB)
- **पदों का आरक्षण:** अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के 67% पद और महानिरीक्षक (IG) के 50% पद IPS अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आरक्षित होंगे।
- **शीर्ष पदों पर नियुक्ति:** विशेष महानिदेशक (Special DG) और महानिदेशक (DG) के पद केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे।
- **सरकार का तर्क:** सरकार का मानना है कि केंद्र-राज्य संबंधों को बनाए रखने तथा केंद्र और राज्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करने के लिए IPS अधिकारियों की नियुक्ति आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समूह 'क' के अधिकारियों ने गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (NFFU), कैडर समीक्षा, पुनर्गठन तथा भर्ती नियमों में संशोधन की माँग को लेकर न्यायालय का रुख किया था। उनका उद्देश्य IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करना और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) तक आंतरिक पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना था।
- संजय प्रकाश एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2025 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि—
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के समूह 'क' के अधिकारियों को सभी उद्देश्यों के लिए 'संगठित सेवा' के रूप में माना जाएगा।
 - एक संगठित समूह 'क' सेवा में निर्धारित कैडर संरचना, पदानुक्रम, पदोन्नति के अवसर तथा कैडर-नियंत्रण तंत्र होता है। यह अलग-थलग समूह 'क' पदों से भिन्न होती है।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (SAG) के पदों, अर्थात् महानिरीक्षक (IG) के स्तर तक, IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों की निर्धारित समय-सीमा के अंदर क्रमिक रूप से कम किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने कैडर की समयबद्ध समीक्षा करने तथा छह महीने के अंदर सेवा नियम बनाने का निर्देश भी दिया।
- **निर्णय का उद्देश्य:** इस निर्णय का उद्देश्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों के लिए करियर में निष्पक्ष प्रगति सुनिश्चित करना तथा बलों में प्रतिनियुक्त IPS अधिकारियों के लंबे समय से चले आ रहे प्रभुत्व को कम करना था।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की पूर्ववर्ती संगठनात्मक व्यवस्था

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और असम राइफल्स शामिल हैं।
- गृह मंत्रालय (MHA), IPS अधिकारियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों, दोनों के लिए कैडर-नियंत्रक प्राधिकरण है।
- हालाँकि, असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के अधीन है, जबकि इसका परिचालन नियंत्रण रक्षा मंत्रालय (MoD) के पास है।
- केंद्र सरकार ने कहा था कि बलों की परिचालन तत्परता बनाए रखने तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है।
- **आरक्षित पद:** केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उपमहानिरीक्षक (DIG) के 20% पद और महानिरीक्षक (IG) के 50% पद IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में IPS अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित चिंताएँ

- **करियर में प्रगति का अवरुद्ध होना:** वरिष्ठ पदों का बड़ा हिस्सा IPS अधिकारियों के लिए आरक्षित होने के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- औसतन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के एक अधिकारी को कमांडेंट के पद तक पहुँचने में 25 वर्ष लग जाते हैं, जबकि आदर्श रूप से यह पदोन्नति 13 वर्षों में हो जानी चाहिए।
- **संगठनात्मक स्वायत्तता:** IPS अधिकारियों की निरंतर प्रतिनियुक्ति से बलों की संस्थागत स्वायत्तता तथा विशिष्ट बलों के रूप में उनके दीर्घकालिक व्यावसायिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **संवैधानिक समानता से संबंधित चिंताएँ:** संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन में अवसर की समानता) के प्रावधान प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों को उनके IPS समकक्षों की तुलना में पदोन्नति के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं।

आगे की राह

- **अनुभव और योग्यता के बीच संतुलन:** प्रतिनियुक्ति की एक संतुलित नीति अपनाई जानी चाहिए, जो IPS अधिकारियों

के प्रशासनिक अनुभव का उपयोग करने के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैडर अधिकारियों को योग्यता, अनुभव और व्यावसायिक विशेषज्ञता के आधार पर पर्याप्त नेतृत्व अवसर प्रदान करे।

- **करियर में प्रगति को सुदृढ़ करना:** पारदर्शी एवं समयबद्ध पदोन्नति और नियमित कैडर समीक्षा के माध्यम से अधिकारियों के करियर में ठहराव की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही, बलों की परिचालन दक्षता और संगठनात्मक प्रभावशीलता भी बनाए रखी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- एक पारदर्शी एवं संवैधानिक रूप से सुदृढ़ सेवा ढाँचा, जो परिचालन आवश्यकताओं और योग्यता-आधारित करियर प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करे, अधिकारियों के मनोबल, संस्थागत स्वायत्तता तथा इन बलों की समग्र प्रभावशीलता को सुदृढ़ करेगा।

Source: TH

जीएसटी 2.0 का उन्नत संस्करण

संदर्भ

- जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में पंजीकरण, रिफंड और मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं को सरल बनाने सहित प्रक्रिया एवं प्रवर्तन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया।

जीएसटी परिषद के बारे में

- जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 279A जोड़े जाने के बाद की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें केंद्रीय वित्त/राजस्व राज्य मंत्री तथा राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री शामिल होते हैं।
- यह सहकारी संघवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें केंद्र के पास भारित मतों का एक-तिहाई तथा राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो-तिहाई मताधिकार होता है।
- परिषद जीएसटी की दरों, छूटों, मॉडल कानूनों, करारोपण के सिद्धांतों तथा जीएसटी से संबंधित अन्य प्रमुख मामलों पर सिफारिशें करती है।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के प्रमुख निर्णय एवं सुधार

- विश्वास-आधारित प्रवर्तन व्यवस्था:
 - जीएसटी अधिकारियों की गिरफ्तारी संबंधी शक्तियों को समाप्त करने की सिफारिश की गई।
 - अभियोजन की सीमा को ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करने का प्रस्ताव रखा गया।
 - सामान्य दंड को ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 करने का प्रस्ताव किया गया।
 - अंतरराज्यीय परिवहन के दौरान वस्तुओं का निरीक्षण, निरोध या जब्ती केवल आपूर्तिकर्ता राज्य अथवा गंतव्य राज्य के अधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी।
 - किसी मालवाहक वाहन को रोकने के लिए विशिष्ट खुफिया जानकारी तथा संयुक्त आयुक्त से नीचे के पद पर न होने वाले अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।
- पंजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण:
 - जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में अधिक स्पष्टता सुनिश्चित की जाएगी।
 - वर्तमान में 61% करदाताओं को तीन कार्यदिवसों के अंदर स्वचालित पंजीकरण प्राप्त हो जाता है।
 - कम जोखिम वाले करदाताओं को कम प्रश्नों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ेगा।
 - छोटे ई-कॉमर्स विक्रेता प्रत्येक उस राज्य में पंजीकरण कराने के बजाय, जहाँ वे बिक्री करते हैं, केवल एक राज्य में पंजीकरण करा सकेंगे।
- रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की शीघ्र उपलब्धता:

Good and simple

The 57th meeting of the GST council decided to enhance simplification, improve certainty in tax treatment, and ease the compliance burden on small businesses

KEY DECISIONS

- Tax officers' power to arrest scrapped
- Prosecution limit increased to ₹5 crore turnover
- Export of services brought into input tax credit system

- Automated registrations, reduced paperwork, and eased input tax credit processes

- No notices for amounts below ₹10,000, pending notices to be cancelled

The committee has also decided to examine proposal to allow small taxpayers to file returns once a year

New measures likely to come into force from April 1, 2027

- रिफंड आवेदनों की पावती जारी करने की अवधि 15 दिनों से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव है।
- जोखिम आकलन के आधार पर लगभग 90% रिफंड दावों की राशि पावती जारी होने के तीन कार्यदिवसों के अंदर जारी किए जाने की अपेक्षा है।

- सुधारों का उद्देश्य इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की उपलब्धता में होने वाली देरी को भी कम करना है।
- छोटे व्यवसायों को राहत:
 - ₹5 करोड़ तक के वार्षिक कारोबार वाले उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने वाले व्यवसायों (B2C) के लिए अंतिम स्वीकृति के अधीन वैकल्पिक वार्षिक रिटर्न योजना का प्रस्ताव रखा गया है।
 - जीएसटी पंजीकरण में संशोधन और उसे रद्द करने की प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जा रहा है।
- डिजिटल एवं पूर्वानुमेय कराधान व्यवस्था:
 - आयकर आकलन की तर्ज पर केंद्रीय जीएसटी के लिए फेसलेस आकलन व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें करदाता और कर अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता कम होगी।
 - जीएसटी दरों में बदलाव पर अब वर्ष में एक बार विचार किया जाएगा तथा उन्हें अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लागू किया जाएगा।
 - अधिकांश बदलाव 1 अप्रैल, 2027 से लागू होने की अपेक्षा है।

भारत के लिए महत्त्व

- कारोबार करने में सुगमता:** अनुपालन लागत में कमी से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा छोटी ई-कॉमर्स कंपनियों को लाभ मिल सकता है।
- करदाताओं का विश्वास:** अधिकारियों की दमनात्मक शक्तियों में कमी और विश्वास-आधारित प्रवर्तन से स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- रसद संबंधी बाधाओं में कमी:** विशिष्ट खुफिया जानकारी पर आधारित निरीक्षण से अंतरराज्यीय वस्तु परिवहन के दौरान मनमाने ढंग से मालवाहक वाहन को रोकने की समस्या कम हो सकती है।
- कार्यशील पूँजी की शीघ्र उपलब्धता:** रिफंड में तीव्रता और ITC की सुगम उपलब्धता से व्यवसायों के नकदी प्रवाह में सुधार हो सकता है।
- सहकारी संघवाद:** प्रवर्तन संबंधी शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच प्रशासनिक टकराव को कम कर सकता है।
- प्रशासनिक दक्षता:** जोखिम-आधारित और फेसलेस प्रणालियाँ जीएसटी प्रशासन को भौतिक निरीक्षण पर निर्भर व्यवस्था से हटाकर डेटा-आधारित अनुपालन की दिशा में ले जा सकती हैं।

संबंधित चुनौतियाँ

- करदाताओं के अधिकारों की रक्षा और धोखाधड़ी, फर्जी चालानों तथा ITC के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित करना।
- जोखिम-आधारित प्रणालियों के प्रभावी संचालन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा, साइबर सुरक्षा और सुदृढ़ एल्गोरिदम की आवश्यकता।
- वार्षिक आधार पर कर दरों का निर्धारण पूर्वानुमेयता बढ़ा सकता है, लेकिन आर्थिक संकट के दौरान नीतिगत लचीलेपन को सीमित कर सकता है।
- डिजिटल साक्षरता की कमी और प्रक्रियाओं में बार-बार होने वाले बदलावों के कारण छोटे व्यवसायों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र, राज्यों और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के बीच समन्वय आवश्यक है।

आगे की राह

- जीएसटी सुधारों के आगामी चरण में स्थिर नियमों, मुकदमेबाजी में पूर्वानुमेयता, उन्नत डेटा विश्लेषण तथा करदाताओं को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- एक पारदर्शी फेसलेस प्रणाली, समयबद्ध रिफंड, प्रभावी अपीलिय तंत्र तथा जानबूझकर कर चोरी करने वालों के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई के माध्यम से 'न्यूनतम हस्तक्षेप, अधिकतम अनुपालन' के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

Source: TH

भारत का सीमेंट क्षेत्र शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की राह में एक बड़ी चुनौती

संदर्भ

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को निर्माण क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने की आवश्यकता है।

परिचय

- भारत की योजना वर्ष 2047 तक एक आर्थिक रूप से विकसित देश बनने तथा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनने की है।
 - इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों में से एक, अर्थात् निर्माण क्षेत्र, से निपटना होगा।
- यह क्षेत्र इस्पात और सीमेंट सहित विभिन्न निर्माण सामग्रियों का उपयोग करता है। विश्वभर में होने वाले कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में निर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 35% से 40% है।

- इस उत्सर्जन का अधिकांश हिस्सा इस्पात और सीमेंट उद्योगों में औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अत्यधिक उच्च तापमान प्राप्त करने हेतु ऊर्जा के उपयोग के कारण होता है।
- हालाँकि, इन दोनों क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के कैल्सीनीकरण की प्रक्रिया के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है।

भारतीय सीमेंट क्षेत्र

- भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है और वैश्विक वार्षिक सीमेंट उत्पादन में इसका योगदान लगभग 13% है।
- भारत में सीमेंट निर्माण की कुल 333 इकाइयाँ हैं, जिनमें शामिल हैं—
 - 159 एकीकृत बड़े सीमेंट संयंत्र।
 - 116 सीमेंट पीसने वाली इकाइयाँ।
 - 62 लघु सीमेंट संयंत्र।
 - 5 क्लिंकर निर्माण इकाइयाँ।
- भारत में लगभग 391 मिलियन टन (Mt) सीमेंट के उत्पादन से करीब 246 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (MtCO_{2e}) उत्सर्जन होता है, जो देश के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 6% है।
- **चूना पत्थर का निष्कर्षण:** चूना पत्थर सीमेंट निर्माण का प्रमुख कच्चा माल है। इसका निर्माण सीप और प्रवाल जैसे कैल्शियम-समृद्ध समुद्री जीवों के अवशेषों के लाखों वर्षों तक जीवाश्मीकरण और संपीड़न के परिणामस्वरूप होता है।
 - चूना पत्थर तक पहुँचने के लिए खननकर्ताओं को संबंधित क्षेत्रों में सबसे पहले वनों तथा उपजाऊ मृदा की विभिन्न परतों को हटाना पड़ता है, ताकि तलछटी चट्टानों की परत तक पहुँचा जा सके।
 - कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में चूना पत्थर ऊपरी मृदा के नीचे लगभग 30–60 मीटर की गहराई पर पाया जा सकता है, जबकि राजस्थान में यह अपेक्षाकृत कम गहराई पर उपलब्ध है।
- **कैल्सीनीकरण :** सीमेंट निर्माण के दौरान चूना पत्थर को मृदा के साथ मिलाकर लगभग 1,450°C तापमान पर गर्म किया जाता है।
 - इस प्रक्रिया में प्रयुक्त तापीय ऊर्जा सीमेंट निर्माण से होने वाले उत्सर्जन का लगभग 35% से 40% हिस्सा उत्पन्न करती है, जबकि शेष उत्सर्जन मुख्यतः चूना पत्थर के रासायनिक अपघटन के कारण होता है।
 - इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उप-उत्पाद के रूप में निकलती है तथा छोटे पत्थरनुमा कण बनते हैं, जिन्हें क्लिंकर कहा जाता है।

- इन क्लिंकरों को पीसकर महीन पाउडर बनाया जाता है तथा जिप्सम और फ्लाई ऐश के साथ विभिन्न अनुपातों में मिलाया जाता है। इसके बाद बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सीमेंट का निर्माण और विक्रय किया जाता है।

सुझाव

- **पारंपरिक निर्माण सामग्रियों का उपयोग:** ताजमहल जैसी संरचनाओं में प्रयुक्त चूने का गारा तथा प्राचीन रोमन इमारतों में ज्वालामुखीय पदार्थों के साथ उपयोग किए गए चूना-आधारित बंधक पदार्थ पारंपरिक निर्माण विकल्पों की संभावनाओं को प्रदर्शित करते हैं।
- **अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन:** प्रसंस्कृत ज्वलनशील अपशिष्ट का उपयोग सीमेंट भट्टियों में कोयले और पेट्रोलियम कोक के विकल्प के रूप में किया जा सकता है।
 - नीति आयोग ने वर्ष 2030 तक 20% तापीय प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने की सिफारिश की है। इससे संचयी रूप से लगभग 80 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।
- **क्लिंकर की मात्रा में कमी:** क्लिंकर के स्थान पर फ्लाई ऐश और ब्लास्ट फर्नेस स्लेज जैसे औद्योगिक उप-उत्पादों का उपयोग करने से उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है।
 - अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, एक टन क्लिंकर के प्रतिस्थापन से लगभग 0.83 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचा जा सकता है।
- **मिश्रित सीमेंट को बढ़ावा देना:** पोर्टलैंड पॉजोलाना सीमेंट (PPC) और पोर्टलैंड स्लेज सीमेंट (PSC) में साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) की तुलना में क्लिंकर की मात्रा कम होती है। इस कारण ये अपेक्षाकृत कम कार्बन उत्सर्जन वाले विकल्प हैं।
- **कार्बन अभिग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS):** चूँकि चूना पत्थर के कैल्सीनीकरण के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए केवल स्वच्छ ईंधनों के उपयोग से उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता।
 - अतः शेष उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कार्बन अभिग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS) एक महत्वपूर्ण विकल्प है।

हरित सीमेंट को अपनाने में चुनौतियाँ

- **संरचनात्मक प्रदर्शन एवं सुदृढ़ता:** निर्माणकर्ता प्रायः साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत तीव्रता से सुदृढ़ता विकसित होती है। इसके विपरीत, कुछ मिश्रित सीमेंट को आवश्यक सुदृढ़ता प्राप्त करने में अधिक समय लगता है।
- **उद्योग की प्राथमिकता:** निर्माण उद्योग पारंपरिक सीमेंट के उपयोग का अभ्यस्त है, क्योंकि इसके लिए स्थापित मानक,

आपूर्ति शृंखलाएँ, व्यावसायिक उपलब्धता और व्यापक उपयोग पहले से विद्यमान हैं।

- **अपशिष्ट प्रबंधन:** नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का उचित पृथक्करण न होने के कारण औद्योगिक उपयोग के लिए अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) की उपलब्धता और गुणवत्ता सीमित रहती है।
- **प्रतिस्थापन की सीमाएँ:** क्लिंकर या पारंपरिक ईंधनों के अत्यधिक प्रतिस्थापन से प्रयुक्त सामग्रियों और उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर सीमेंट के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए प्रतिस्थापन तकनीकी एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
- **व्यावसायिक अवसंरचना का अभाव:** पारंपरिक निर्माण सामग्रियों और वैकल्पिक बंधक पदार्थों के लिए मानकीकरण, आपूर्ति नेटवर्क तथा बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षमता का अभाव है, जबकि सीमेंट उद्योग में ये व्यवस्थाएँ अपेक्षाकृत विकसित हैं।

आगे की राह

- **सरकारी खरीद को बढ़ावा देना:** सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में प्रमाणित कम-कार्बन सीमेंट की खरीद बढ़ाई जानी चाहिए। इससे प्रारंभिक माँग उत्पन्न होगी और इन विकल्पों को व्यापक स्तर पर अपनाने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **अपशिष्ट पृथक्करण में सुधार:** सीमेंट संयंत्रों में अपशिष्ट-आधारित ईंधनों के अधिक उपयोग को सक्षम बनाने के लिए स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा RDF की आपूर्ति शृंखलाओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहन:** कार्बन अभिग्रहण, उपयोग एवं भंडारण (CCUS), वैकल्पिक बंधक पदार्थों, ऊर्जा-कुशल भट्टियों तथा कम-कार्बन निर्माण सामग्रियों के विकास में निवेश किया जाना चाहिए।
- **निर्माण संबंधी प्रथाओं में सुधार:** वास्तुकारों, अभियंताओं और निर्माणकर्ताओं को तकनीकी रूप से उपयुक्त परिस्थितियों में वैकल्पिक सामग्रियों एवं निर्माण डिजाइनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए विश्वसनीय परीक्षण प्रणालियों और उपयुक्त मानकों की व्यवस्था भी आवश्यक है।

Source: TH

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साइबर अपराध से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान

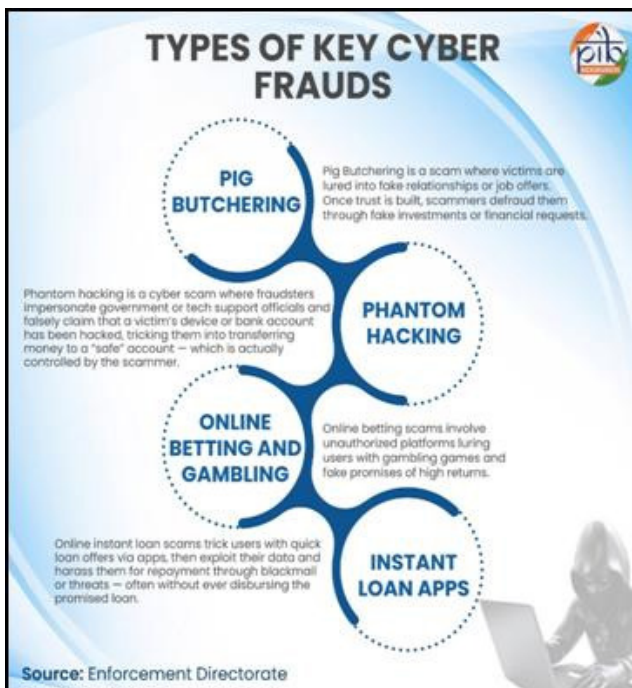
संदर्भ

- इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं को सक्रिय रूप से रोकने के लिए एक वैश्विक तंत्र विकसित करने का आह्वान किया। यह आह्वान ब्रिक्स

शिखर सम्मेलन की घोषणा में सीमा-पार सक्रिय धोखाधड़ी नेटवर्कों को लेकर व्यक्त की गई चिंताओं के बाद किया गया।

साइबर अपराध क्या है?

- साइबर अपराध से तात्पर्य कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आपराधिक गतिविधियों को संपन्न करने से है।
- इसके अंतर्गत निम्नलिखित अपराध शामिल हैं—
 - ♦ वित्तीय धोखाधड़ी, जैसे क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन लेन-देन में धोखाधड़ी।
 - ♦ महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित अपराध।
 - ♦ डीपफेक सामग्री के माध्यम से किए जाने वाले अपराध आदि।
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों के दायरे में आते हैं।
- **भारत में साइबर अपराध की स्थिति:**
 - ♦ वर्ष 2019 से 2026 के बीच साइबर अपराध से संबंधित लगभग 98 लाख शिकायतें दर्ज की गईं।
 - ♦ इनमें से केवल 2.3 लाख प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों के FIR में परिवर्तित होने की दर 2.36% रही।
 - ♦ वर्ष 2021 से 2026 के बीच साइबर अपराधों के कारण दर्ज की गई वित्तीय हानि लगभग ₹64,447 करोड़ रही।



साइबर अपराध में वृद्धि के कारण

- **तीव्र डिजिटलीकरण:** इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर व्यक्तियों तथा व्यवसायों की बढ़ती निर्भरता के कारण साइबर अपराधियों को सुरक्षा संबंधी कमजोरियों का लाभ उठाने के अधिक अवसर मिल रहे हैं।
- **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का विशाल आधार:** भारत में लगभग 95 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। इंटरनेट का उपयोग करने वाली बड़ी जनसंख्या साइबर अपराधियों के लिए संभावित लक्ष्यों की संख्या बढ़ाती है, जिससे भारत साइबर हमलों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन जाता है।
- **अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना:** अनेक संगठनों, विशेषकर छोटे व्यवसायों, के पास सुदृढ़ साइबर सुरक्षा उपायों का अभाव है। इससे वे साइबर अपराधियों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
- **भुगतान प्रणालियों की संवेदनशीलता:** डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेन-देन में वृद्धि के साथ फिशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन ठगी जैसे वित्तीय अपराधों का जोखिम भी बढ़ा है।
- ♦ वर्ष 2024 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) के माध्यम से लगभग ₹20,64,000 करोड़ मूल्य के लेन-देन किए गए, जो वैश्विक डिजिटल लेन-देन का लगभग 46% था।

साइबर अपराध के प्रभाव

- **वित्तीय हानि:** साइबर अपराध के कारण धन की चोरी, धोखाधड़ी तथा प्रभावित प्रणालियों को पुनः स्थापित करने की लागत के माध्यम से व्यक्तियों और संगठनों को भारी वित्तीय हानि होता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भू-राजनीतिक उद्देश्यों से किए जाने वाले साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ऐसे हमले सरकारी एजेंसियों, महत्वपूर्ण अवसंरचना या रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाकर देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।
- **डेटा उल्लंघन:** संवेदनशील डेटा तक अनधिकृत पहुँच और उसकी चोरी से व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी की गोपनीयता प्रभावित होती है। इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ संभावित कानूनी परिणाम भी उत्पन्न हो सकते हैं।
- **सेवाओं में व्यवधान:** साइबर हमलों से आवश्यक सेवाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचना के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे व्यवसाय, सरकारें और आम नागरिक प्रभावित होते हैं।

- **बौद्धिक संपदा की हानि:** व्यवसायों को बौद्धिक संपदा, व्यापारिक रहस्यों और स्वामित्व संबंधी सूचनाओं की चोरी का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं नवाचार प्रभावित होते हैं तथा आर्थिक हानि होती है।

साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** इस अधिनियम की धारा 43, 66, 70 और 74 हैकिंग तथा साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से जुड़ी हैं।
- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In):** यह संस्था नवीनतम साइबर खतरों एवं सुरक्षा कमजोरियों तथा उनसे निपटने के उपायों के संबंध में नियमित रूप से चेतावनियाँ और परामर्श जारी करती है, ताकि कंप्यूटरों और नेटवर्कों की सुरक्षा की जा सके।
- **राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC):** इसकी स्थापना वर्तमान और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक परिस्थितिजन्य जागरूकता उत्पन्न करने तथा समय पर सूचना साझा करने के लिए की गई है। इससे विभिन्न संस्थाएँ सक्रिय, निवारक और सुरक्षात्मक कदम उठा सकती हैं।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट सफाई एवं मैलवेयर विश्लेषण केंद्र):** इसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- **चक्षु सुविधा:** यह संचार साथी पोर्टल पर शुरू की गई एक सुविधा है, जिसके माध्यम से नागरिक कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध धोखाधड़ीपूर्ण संचार की सक्रिय रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** इसकी स्थापना वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय के साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत की गई थी।
 - यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) को साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संस्थागत ढाँचा तथा पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराता है।
- **ई-जीरो FIR पहल:** इसे गृह मंत्रालय द्वारा साइबर वित्तीय अपराधों के मामलों में शीघ्र FIR दर्ज करने और जाँच की प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है।
 - इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित किया जाता है। प्रारंभिक चरण में यह सुविधा ₹10 लाख से अधिक की राशि वाले मामलों पर केंद्रित थी।

अंतरराष्ट्रीय उपाय

- **बुडापेस्ट अभिसमय:** यह साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया पहला अंतरराष्ट्रीय अभिसमय है। भारत इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- **इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबरर्स (ICANN):** यह अमेरिका स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो इंटरनेट से संबंधित विभिन्न डेटाबेस के समन्वय और रखरखाव का कार्य करता है।
- **इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF):** यह संयुक्त राष्ट्र का एक मंच है, जहाँ इंटरनेट शासन से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के बीच नीतिगत संवाद किया जाता है।

आगे की राह

- भारत वर्तमान में डिजिटल परिवर्तन और साइबर खतरों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। डिजिटल प्रगति का प्रमुख आधार होने के साथ-साथ, भारत साइबर धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य भी बन गया है।
- डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार की बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया व्यवस्था धोखाधड़ी की रोकथाम में सहायता कर रही है तथा हजारों ठगी संबंधी गतिविधियों और नेटवर्कों को बाधित कर रही है।
- उन्नत डिजिटल फॉरेंसिक तकनीकों, बिग डेटा विश्लेषण तथा स्वदेशी उपकरणों ने भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा क्षमता और साइबर खतरों के प्रति लचीलापन बढ़ाया है।
- भविष्य में साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निम्नलिखित उपायों पर ध्यान देना आवश्यक है—
 - सीमा-पार साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वास्तविक समय में सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुदृढ़ करना।
 - कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तकनीकी क्षमता, डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर अपराधों की जाँच संबंधी दक्षता बढ़ाना।
 - नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित करना।
 - वित्तीय संस्थानों, डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच समन्वय बढ़ाना।
 - साइबर अपराधों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, प्रभावी जाँच तथा पीड़ितों को समयबद्ध सहायता सुनिश्चित करना।
- निष्कर्षतः, साइबर अपराधों की बदलती प्रकृति को देखते हुए केवल राष्ट्रीय स्तर के उपाय पर्याप्त नहीं हैं। प्रभावी कानून प्रवर्तन, तकनीकी नवाचार, जन-जागरूकता और वैश्विक

सहयोग के समन्वय से ही सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल परिवेश सुनिश्चित किया जा सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद

संदर्भ

- नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि भारत 'सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद' (GDKP) विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP)

- यह एक प्रस्तावित अवधारणा है, जिसका उद्देश्य किसी देश में उत्पन्न, संचित, साझा और उपयोग किए जाने वाले ज्ञान का आकलन करना है। यह दृष्टिकोण केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के माध्यम से आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बजाय ज्ञान पर केंद्रित है।
- GDP अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है, जबकि GDKP किसी देश के ज्ञान-संसाधनों तथा विकास में उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित करेगा।
 - GDKP के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास (R&D), वैज्ञानिक खोजों, पेटेंट, नवाचार और शैक्षणिक उपलब्धियों पर विचार किया जा सकता है।
- वर्तमान में, बौद्धिक संपदा उत्पादों (IPP) पर होने वाले सभी व्ययों को सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के GDP आँकड़ों में पूंजी निवेश का एक संकेतक है।

ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था क्या है?

- ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, जिसमें भौतिक निवेशों या प्राकृतिक संसाधनों के बजाय कौशल, सूचना, नवाचार और बौद्धिक संपदा जैसे मानव पूंजी संबंधी कारक आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं।
- यह दो प्रकार के ज्ञान पर आधारित होती है:
 - संहिताबद्ध ज्ञान :** ऐसा ज्ञान जिसे दस्तावेजों में दर्ज किया जा सकता है और दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है। इसमें 'क्या जानना है' (Know-what) तथा 'क्यों जानना है' (Know-why) जैसे पहलू शामिल हैं। उदाहरण: पेटेंट, सॉफ्टवेयर और शैक्षणिक अनुसंधान।
 - अंतर्निहित ज्ञान :** ऐसा ज्ञान जो अनुभव पर आधारित होता है और जिसे दूसरों तक पहुँचाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। इसमें 'कैसे करना है' (Know-how) तथा 'कैसे

जानना है' (Know-who) जैसे पहलू शामिल हैं। उदाहरण: हस्तशिल्प कौशल और पारंपरिक चिकित्सा।

- प्रमुख OECD अर्थव्यवस्थाओं में ज्ञान-आधारित गतिविधियाँ GDP में 50% से अधिक का योगदान देती हैं।
- भारत का IT क्षेत्र, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, औषधि अनुसंधान एवं विकास तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियाँ इस अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालाँकि, इनका योगदान अभी भी पारंपरिक राष्ट्रीय लेखांकन प्रणालियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

स्रोत: (BS)

राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH)

संदर्भ

- राष्ट्रीय SC-ST हब (NSSH), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के बीच उद्यमशीलता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रीय SC-ST हब

- इसे वर्ष 2016 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रारंभ किया गया था।
- यह योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा सार्वजनिक खरीद में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में सहायता करती है।
- इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के माध्यम से किया जाता है।
- NSSH के अंतर्गत उद्यम विकास संबंधी पहलों में प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, व्यवसाय विकास, नेटवर्किंग और ज्ञान-संबंधी सहायता शामिल हैं।



- इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम पाँच अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं।
- **वित्तीय सहायता :** नए और वर्तमान SC/ST-स्वामित्व वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को संस्थागत ऋण के माध्यम से वित्तपोषित संयंत्रों, मशीनरी और उपकरणों में निवेश के लिए 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा सकती है। यह सब्सिडी अधिकतम ₹25 लाख तक सीमित है।
- **एकल बिंदु पंजीकरण योजना (SPRS):** SPRS, NSIC के साथ पंजीकरण के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सरकारी खरीद के अवसरों तक पहुँचने में सहायता करती है। पंजीकृत MSEs को निःशुल्क निविदा दस्तावेज़ उपलब्ध कराए जाते हैं तथा बयाना राशि जमा (EMD) करने से छूट दी जाती है।
- **विपणन सहायता :** विशेष विपणन सहायता योजना (SMAS), SC/ST उद्यमों को प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अपने उत्पादों की दृश्यता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायता करती है।
- **व्यवसाय करने की लागत में कमी :** बैंक ऋण प्रसंस्करण प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत उद्यमों को ऋण प्रसंस्करण शुल्क का 80% या ₹1 लाख, जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हो सकता है।
- **बाज़ार तक पहुँच:** वित्तीय सहायता और बाज़ार तक पहुँच उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय SC-ST हब अपने व्यवसाय त्वरक कार्यक्रम (BAP) के माध्यम से व्यवस्थित मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।

स्रोत: PIB

ब्रह्मोस

संदर्भ

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाज़ों के लिए ब्रह्मोस अग्नि नियंत्रण प्रणाली और प्रक्षेपकों की खरीद हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ ₹660 करोड़ से अधिक मूल्य का एक अनुबंध किया है।

परिचय

- विभिन्न अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों पर स्थापित ब्रह्मोस प्रणाली, समुद्री हमले संबंधी अभियानों के लिए भारतीय नौसेना की प्रमुख सतह-से-सतह मिसाइल प्रणाली है।

ब्रह्मोस मिसाइल

- **संयुक्त उपक्रम :** भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPO मशिनोस्त्रोयेनिया के बीच संयुक्त उपक्रम।

- **नाम की उत्पत्ति :** इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नामों से लिया गया है।
- **प्रथम परीक्षण :** 12 जून, 2001 को किया गया।
- **सेना में शामिल किए जाने का समय :** नौसेना — 2005, थल सेना — 2007 और भारतीय वायु सेना — 2017।
- **प्रकार :** यह एक 'दागो और भूल जाओ' (Fire and Forget) प्रकार की सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इसे सभी मौसमों में भूमि, समुद्र या वायु से प्रक्षेपित किया जा सकता है तथा इसे अवरोधित करना अत्यंत कठिन बताया जाता है।
- **युद्ध में उपयोग :** रिपोर्टों के अनुसार, इसका प्रथम बार उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया।
- **गति:**
 - ♦ **वर्तमान गति:** मैक 2.8 (सुपरसोनिक)।
 - ♦ **भविष्य की गति:** मैक 5 से अधिक (हाइपरसोनिक संस्करण का विकास जारी है)।
- **मारक दूरी :**
 - ♦ **प्रारंभिक मारक दूरी:** 290 किमी (मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था — MTCR की सीमा के अंतर्गत)।
 - ♦ **विस्तारित मारक दूरी:** 400 किमी; 600 किमी से अधिक मारक दूरी वाले संस्करण का विकास जारी है।
- **चरण :** ब्रह्मोस एक दो-चरणीय मिसाइल है, जिसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन का उपयोग किया जाता है।
 - ♦ इसका प्रथम चरण मिसाइल को सुपरसोनिक गति तक पहुँचाता है, जिसके बाद यह अलग हो जाता है।
 - ♦ इसके बाद, तरल ईंधन से संचालित रैमजेट इंजन अर्थात् दूसरा चरण, उड़ान के क्रूज़ चरण में मिसाइल को ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना गति तक पहुँचाता है।

Source: AIR

SAREX-2026

संदर्भ

- - भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप के तट पर 12वाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास (SAREX-2026) आयोजित किया।

परिचय

- इस अभ्यास में 30 देशों के 32 अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भाग लिया, जो समुद्री खोज एवं बचाव (SAR) के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक कार्य-संचालन क्षमता को दर्शाता है।
- इस अभ्यास में एक व्यापक बचाव अभियान (MRO) का अनुकरण किया गया, जिसमें एक साथ विमानन और समुद्री संकट की परिस्थितियाँ उत्पन्न की गईं।

- SAREX-2026 का उद्देश्य त्वरित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और समन्वित खोज एवं बचाव ढाँचे को सुदृढ़ करना था। यह भारत के सागर (SAGAR) दृष्टिकोण और महासागर (MAHASAGAR) की भावना के अनुरूप है।

स्रोत: PIB

नोबेल साहित्य पुरस्कार 2026

संदर्भ

- वर्ष 2026 का नोबेल साहित्य पुरस्कार कनाडाई लेखिका ऐन कार्सन को प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार “शास्त्रीय परंपरा के साथ चंचल संवाद के माध्यम से समकालीन साहित्य के लिए नए रूपों का सृजन करने वाली उनकी साहसिक और नवोन्मेषी साहित्यिक कृतियों” के लिए दिया गया है।

परिचय

- वर्ष 1950 में कनाडा के टोरंटो में जन्मी ऐन कार्सन एक कवयित्री, निबंधकार, अनुवादक और शास्त्रीय साहित्य की विदुषी हैं। उनकी रचनाएँ प्रायः प्राचीन यूनानी साहित्य को समकालीन अनुभवों के साथ जोड़ती हैं।



- उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में द ग्लास एसे (1995), ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड: ए नॉवेल इन वर्स (1998) और फ्लोट (2016) शामिल हैं। ये कृतियाँ साहित्यिक रूपों और विधाओं के प्रति उनके प्रयोगधर्मी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं।

नोबेल पुरस्कार

- नोबेल साहित्य पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की वर्ष 1895 की वसीयत के माध्यम से स्थापित पाँच नोबेल पुरस्कारों में से एक है।
- वर्ष 1901 से यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी देश के ऐसे लेखक को प्रदान किया जाता है, जिसने आदर्शवादी दिशा में साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कृति की रचना की हो।
- सामान्यतः यह पुरस्कार किसी लेखक की एकल रचना के बजाय उसकी समग्र साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- रवींद्रनाथ टैगोर अब तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
- उन्हें वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। यह काव्य-संग्रह अपनी संक्षिप्त गीतात्मक अभिव्यक्ति और दार्शनिक स्पष्टता के माध्यम से बंगाली कविता को वैश्विक पाठकों तक पहुँचाने में सफल रहा।
- वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी थे।

स्रोत: TH

नोबेल शांति पुरस्कार 2026

संदर्भ

- वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार नवनेथम ‘नवी’ पिल्लै को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है।

परिचय

- नवी पिल्लै का जन्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रंगभेद व्यवस्था के दौरान भारतीय तमिल मूल के एक परिवार में हुआ था। वे वकील बनीं और उन्होंने गहरे संरचनात्मक भेदभाव, पृथक्करण तथा बहिष्करण का सामना करते हुए विधिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई।
- उन्होंने अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र पर संयुक्त राष्ट्र के जाँच आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग ने वर्ष 2025 में निष्कर्ष निकाला कि इज़राइल ने गाज़ा में नरसंहार किया था।

नोबेल शांति पुरस्कार

- यह पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति नॉर्वे की संसद करती है।
- प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार वर्ष 1901 में संयुक्त रूप से फ्रांस के फ्रेडरिक पासी और स्विट्ज़रलैंड के हेनरी ड्यूनां को प्रदान किया गया था। हेनरी ड्यूनां अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) के सह-संस्थापक थे।
- यह पुरस्कार व्यक्तियों और संगठनों, दोनों को दिया जा सकता है। हालाँकि, किसी व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया जा सकता।

क्या आप जानते हैं?

- महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पाँच बार नामांकित किया गया था, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार नहीं मिला। उनके आदर्श संयुक्त राष्ट्र चार्टर की भावना से निकटता रखते थे।

स्रोत: DDNews

एंजियोप्लास्टी

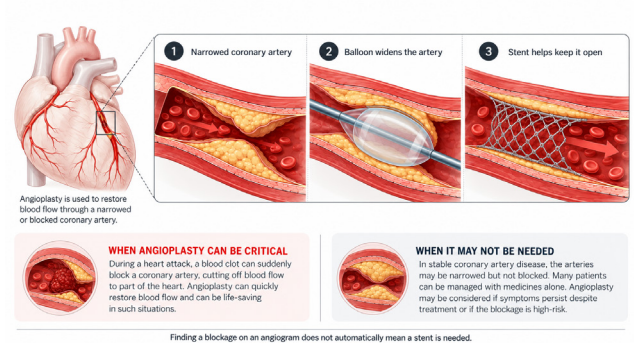
संदर्भ

- केरलम के मुख्यमंत्री ने अनावश्यक एंजियोप्लास्टी के विरुद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया।

एंजियोप्लास्टी क्या है?

- एंजियोप्लास्टी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसका उपयोग हृदय की संकुचित या अवरुद्ध धमनी को एक छोटे गुब्बारे की सहायता से खोलने के लिए किया जाता है। इसके बाद प्रायः स्टेंट (Stent) लगाया जाता है, जो एक जालीदार नलिकाकार संरचना होती है। यह धमनी को पर्याप्त रूप से खुला रखती है, ताकि ऑक्सीजनयुक्त रक्त का प्रवाह बना रहे।

- आधुनिक स्टेंट पर औषधियों की परत चढ़ी होती है, जो रक्त के थक्के बनने की संभावना को कम करने में सहायता करती हैं। इन्हें सामान्यतः लंबे समय तक शरीर में रहने के लिए बनाया जाता है।



Source: IE

